

# न्यायालय भूमि सुधार उप-समाहर्ता सदर दरभंगा

## आदेश पत्रक



(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक-बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत  
सन्दर्भित वाद संख्या - 75/2013-14

सचिदानन्द चौधरी बनाम मो० आविद हुसैन वगैरह ।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित																				
	<p>अभिलेख का अवलोकन किया। बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 की धारा- 4 के अधीन इस वाद में सचिदानन्द चौधरी, पिता- जर्नादन चौधरी ग्राम- कबिलपुर थाना- बहादुरपुर, जिला- दरभंगा आवेदक तथा (1) मो० आविद हुसैन पिता- (विपक्षी प्रथम पक्ष) एवं मो० रूस्तम अली, एवं (3) मो० असलम दोनों पिता- स्व० मोहम्मद जैनुल (विपक्षी द्वितीय पक्ष) सभी ग्राम + थाना -बहादुरपुर, जिला- दरभंगा विपक्षी सदस्य है। विवाद के अन्तर्गत इस वाद में मौजा विशुनपुर महादेव उर्फ डरहार, अंचल- बहादुरपुर, थाना नं०- 542 में अवस्थित अद्योलिखित ब्योरे की भूमि है जिसे आवेदक के आवेदनानुसार उन्हें दिनांक 03.08.07 के बयनामा द्वारा विपक्षियों से हासिल है :-</p> <table border="1" data-bbox="337 996 1274 1254"> <thead> <tr> <th>खाता</th> <th>खेसरा</th> <th>रकबा</th> <th>चौहद्दी</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>223</td> <td>588</td> <td rowspan="5">10 धुर</td> <td>उ०- इजाजुल हक</td> </tr> <tr> <td></td> <td>589 (पु०)</td> <td>द०- मो० कासीम व० मो० नासीम</td> </tr> <tr> <td></td> <td>711</td> <td>पू०- सड़क</td> </tr> <tr> <td></td> <td>714</td> <td>प०- मो० रूस्तम वगैरह</td> </tr> <tr> <td></td> <td>715 (नया)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>आवेदक ने प्रस्तुत वाद दिनांक 25.04.2013 को अपने अधिवक्ता के माध्यम से शपथ पत्र एवं न्याय शुल्क मुद्रांक के साथ दाखिल किया जिसपर विद्वान अधिवक्ता को सुनते हुए वाद की प्रविष्टि करते हुए विपक्षियों को निबंधित सूचना निर्गत की गई, विपक्षीगण कार्रवाई में उपस्थित हुए तथा अपने अधिवक्ता के माध्यम से पक्ष प्रस्तुत किया जिसपर उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनते हुए वाद की विधिवत सूनवाई पूर्ण की गई है।</p> <p>उभय पक्षों के दावे-प्रतिदावे का अनुशीलन किया तथा विद्वान अधिवक्ताओं के तार्किक बहस को सुना।</p> <p>विदित होता है कि प्रश्नगत भूमि विपक्षियों की थी जिसे विपक्षियों बेचने के निस्वत दिनांक 04.08.2006 को एक महादानामा आवेदक के पक्ष में अनिबंधित लिखा था जिसमें जमीन का जरसेमन 70 हजार रूपया तय हुआ था और महादानामा के समय आवेदक ने 60 हजार रूपया बतौर बेयाना भुगतान कर दिया तथा बाकी 10 हजार रूपया दिनांक 04.08.2007 भुगतान करके बयनामा कराने की बात तय हुई थी जिस आलोक में आवेदक ने महादानामा के शर्त के मुताबिक दिनांक 03.08.2007 को 10 हजार रूपया भुगतान कर विपक्षी से रजिस्ट्री करा लिया और उसका दाखिल खारिज होकर जमाबन्दी सं०- 888 अन्तर्गत आवेदक के नाम रसीद निर्गत होने लगा। आवेदक ने प्रश्नगत भूमि पर खरीदगी के पश्चात् पक्का का मकान</p>	खाता	खेसरा	रकबा	चौहद्दी	223	588	10 धुर	उ०- इजाजुल हक		589 (पु०)	द०- मो० कासीम व० मो० नासीम		711	पू०- सड़क		714	प०- मो० रूस्तम वगैरह		715 (नया)		
खाता	खेसरा	रकबा	चौहद्दी																			
223	588	10 धुर	उ०- इजाजुल हक																			
	589 (पु०)		द०- मो० कासीम व० मो० नासीम																			
	711		पू०- सड़क																			
	714		प०- मो० रूस्तम वगैरह																			
	715 (नया)																					

18/10/13

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित
	<p>बनवाया और अपने परिवार के साथ रहने लगे। इसी बीच आवेदक को एका-एक लकवा की बيمारी हुई और वे इलाज हेतु पूरे परिवार के साथ पटना चले गये और मकान में ताला लगा दिया।</p> <p>आवेदक का कहना है कि जब दिनांक 05.04.2009 को ये बिमारी से निजात पाकर प्रश्नगत भूमि पर मकान पर लौटकर आये तो पाये कि विपक्षीय घर में घुसे हुए हैं तो इन्होंने विपक्षीयों से घर खाली करने को कहा तो विपक्षीयों ने उत्तर दिया कि मेरा बेटा अरब जानेवाला था सो नहीं गया, आप अपना पैसा लेकर जमीन मेरे नाम से लिख दिजीए। आवेदक ने विपक्षीयों के जबाब से क्षुब्ध होकर गाँव के गणमान्य लोगों का बुलाया, गाँव के लोगों ने समझौता किया कि विपक्षी सत्तर हजार रूपया मय सूद वो मकान का किमत एक लाख रूपया आठ हजार रूपया मासिक किस्त देकर अदा कर देंगे तो आवेदक जमीन-मकान विपक्षी के नाम वापस केवाला लिख देंगे, परन्तु विपक्षी इस बात से इन्कार कर गये।</p> <p>विपक्षी द्वारा प्रस्तुत एकरारनामा दिनांक 30.04.2010 सच्चिदानंद चौधरी बनाम मो० आबिद वगैरह से विदित होता है कि आवेदक ने तय सुदे राशि का प्रथम किस्त 08 हजार उक्त तिथि को पाया है तथा 19.02.2011 को 08 हजार उषा चौधरी, 11.05.2011 को 7500.00 सतेन्द्र एवं 08.06.2012 को 09 हजार विपक्षी के अन्य सदस्यों ने विपक्षी से पाया है।</p> <p>आवेदक की ओर से विपक्षीयों को दिनांक 18.02.2010 एवं 22.02.2013 को वकालतन नोटिस कराई गई जिसमें लिखा गया है कि उक्त जमीन खाली करके छोड़ दें या शीघ्र ही मेरा उक्त रूपया वापस कर दें। उक्त वकालतन नोटिस के जबाब में विपक्षी ने दिनांक 11.04.2013 को अपना प्रतिउत्तर दिया जिसमें उल्लेख किया गया है कि आवेदक प्रश्नगत केवाला वाली जमीन वापस करने के लिए राजी हो गये और विपक्षी ने धीरे-धीरे रूपया वापस करने लगे जिसका पावती रसीद भी आवेदक ने बनाया है इस प्रकार विपक्षी ने अब तक कुल 32500.00 रूपया वापस कर दिया है और शेष रूपया लौटाने के लिए तैयार है।</p> <p>उभय पक्षों के दावे-प्रतिदावे पर विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के पश्चात् आवेदक द्वारा प्रस्तुत वाद <b>Maintainable</b> प्रतीत नहीं होता है। चूंकि एक तरफ प्रश्नगत भूमि एवं मकान को आवेदक ने एग्रीमेन्ट एवं पावती रसीद द्वारा विपक्षी को वापस केवाला करने पर सहमत है और दुसरी तरफ यह वाद प्रस्तुत करते हैं जो दृष्टिकोण से पोषणीय नहीं हैं।</p> <p>अतः आवेदक के अनुरोधवेदन को <b>Maintainability ground</b> पर dismiss किया जाता है।</p>	
	<p>लेखापित्त एव शुद्धित    मू० सु० उप समाहर्ता  सदर, दरभंगा।</p>	<p>  मूमि सुधार उप समाहर्ता  सदर, दरभंगा।</p>